


327

vol. PartA?appno=निग्र



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्र.कं.

/2018 पुनरीक्षण

मिनामा - ५६२२/२०१८/प्रिव्हैट/१२४१८

गीता देवी पत्नी गयादीन साहू

निवासी ग्राम निवास कृषक ग्राम हर्दी
तहसील सरई जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदिका

श्री ५६२२/२०१८/प्रिव्हैट
दाय आज दि. १६-२-१८
प्रस्तुत। ग्रामनिवास कृषक
दिनांक १०-८-१८।

प्रिव्हैट
शासन द्वारा कलेक्टर
१६ स्वाप्तिरा/१८

विरुद्ध

1. दिनेश प्रसाद पुत्र दलवीर साहू
2. रमेश प्रसाद पुत्र दलवीर साहू
3. लखन प्रसाद पुत्र दलवीर सिंहा
तीनों निवासीगण ग्राम हर्दी तह. सरई जिला
सिंगरौली (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर सिंगरौली

.... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्र.कं.
259/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25.9.17 के
प्रिव्हैट मप्र. म. राजस्व संहिता 12959 की घारा 50 के अंतर्गत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/4622/18/R/२०१८/३२८, उमितावेदी- १६९४/८५४१

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27-12-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री शुक्रेश मांडवि अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंहारामी के प्रकरण क्रमांक २५७/निर०८/०८-११ में पारित आदेश दिनांक २५/०९/१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक ०३/०४/१९ को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	